



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या 36/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 31 तथा 32/2019.— पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 31 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये आदेश पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 2019, कहे जा सकते हैं।
(2) ये प्रथम अप्रैल, 2019 से लागू होंगे।
- पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त आदेश कहा गया है) में, आदेश 1 में,—
विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट के प्रकार	शुल्क दर
1	2	3
1	देशी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ)	₹49.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	देशी मदिरा (65 डिग्री प्रूफ)	₹54.00 प्रति प्रूफ लीटर
3	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स—डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹1000 प्रति पेटी तक	₹70.00 प्रति प्रूफ लीटर
4	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स—डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹1001 से ₹1500 प्रति पेटी तक	₹110.00 प्रति प्रूफ लीटर
5	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स—डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹1501 से ₹2500 प्रति पेटी तक	₹120.00 प्रति प्रूफ लीटर
6	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स—डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹2501 से ₹3500 प्रति पेटी तक	₹130.00 प्रति प्रूफ लीटर
7	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स—डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹ 3501 से ₹5000 प्रति पेटी तक	₹140.00 प्रति प्रूफ लीटर

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट के प्रकार	शुल्क दर
1	2	3
8	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹5001 से ₹7000 प्रति पेटी तक	₹180.00 प्रति पूफ लीटर
9	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹7000 से उपर प्रति पेटी	₹230.00 प्रति पूफ लीटर
10	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹20.00 प्रति पूफ लीटर
11	साईडर	₹10.00 350 मिली लीटर की प्रत्येक बोतल पर।।

3. टिप्पण में, विद्यमान पैरा (iv) में, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"2	रम	₹66.00 प्रति पूफ लीटर"।
----	----	-------------------------

4. उक्त आदेशों में, आदेश 1-क. में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट की किस्म	शुल्क की दर
1	2	3
1	देसी मदिरा	₹ 0.75 प्रति पूफ लीटर
2	बीयर	₹ 5.00 प्रति बल्क लीटर
3	पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट/एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
4	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट/ भारत में निर्मित विदेशी मदिरा	₹ 4.00 प्रति पूफ लीटर
5	पीने के लिए तैयार पेय	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
6	ड्राट बीयर	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
7	परिशुद्ध अल्कोहल	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
8	डिनेचर्ड स्पिरिट	₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर

5. उक्त आदेशों में, आदेश 1-ड. में, सारणी में क्रम संख्या 5 तथा 6 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"सारणी

"5.	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
6.	औद्योगिक उपयोग के लिए रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य ।।"

6. उक्त आदेशों में, आदेश 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) वाईन	₹20.00 प्रति बल्क लीटर ।।"
-----------	----------------------------

7. उक्त आदेशों में, आदेश 5 में, विद्यमान खण्डों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) बीयर जिसमें 5.5 प्रतिशत तक अल्कोहल की मात्रा हो	₹ 50.00 प्रति बल्क लीटर
--	-------------------------

- (ii) बीयर जिसमें 5.5 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो ₹ 55.00 प्रति बल्क लीटर
- (iii) डिब्बाबन्द बीयर:
- (क) नरम ₹ 60.00 प्रति बल्क लीटर
- (ख) शक्तिशाली ₹ 65.00 प्रति बल्क लीटर
- (iv) देशी शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर ₹ 23.00 प्रति प्रूफ लीटर
- (v) भारत में बनी विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर ₹ 51.00 प्रति प्रूफ लीटर
- (vi) ड्रॉट बीयर ₹55.00 प्रति बल्क लीटर
- (vii) बीयर की खुदरा बिक्री पर आबकारी शुल्क की दर राज्य में पब माइक्रो ब्रुअरी प्रोजेक्ट द्वारा विनिर्मित बीयर पर प्रति बल्क लीटर ₹30 होगी।
8. उक्त आदेशों में, आदेश 5क में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
- “(i) पीने के लिए तैयार पेय ₹40.00 प्रति बल्क लीटर।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 29th March, 2019

No. 36 /X-I/P.A./1914/S.31 and 32/2019.— In exercise of the powers conferred by sections 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following orders further to amend the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932, in their application to the State of Haryana, namely : -

1. (1) These orders may be called the Punjab Excise Fiscal (Haryana Amendment) Orders, 2019.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2019.
2. In the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932 (hereinafter called the said orders), in order 1, for the existing table, the following table and entries thereagainst shall be substituted namely,-

Sr. No.	Kind of liquor or spirit	Rate of duty
“1.	Country Liquor (50 degree proof)	₹ 49.00 per proof litre
2.	Country Liquor (65 degree proof)	₹ 54.00 per proof litre
3.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price upto ₹1000 per case	₹ 70.00 per proof litre
4.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1001 upto ₹1500 per case	₹ 110.00 per proof litre
5.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1501 upto ₹2500 per case	₹ 120.00 per proof litre
6.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹2501 upto ₹3500 per case	₹ 130.00 per proof litre
7.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹3501 upto ₹5000 per case	₹ 140.00 per proof litre
8.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹5001 upto ₹7000 per case	₹ 180.00 per proof litre
9.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price above ₹7000 per case	₹ 230.00 per proof litre

10.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	₹ 20.00 per proof litre
11.	Cider	₹10.00 per bottle of 350 mili litre.”.

3. In the note, in the existing para (iv), for serial number 2 and entries thereagainst the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“2. Rum 66.00 per proof litre.”.

4. In the said order, in order 1-A, for the existing table, the following table shall be substituted, namely :-

Sr. No.	Kind of liquor or spirit	Rate of duty
“1	2	3
1.	Country Liquor	₹ 0.75 per proof litre
2.	Beer	₹ 5.00 per bulk litre
3.	Potable Rectified Spirit/ Extra Neutral Alcohol	₹ 1.50 per bulk litre
4.	Indian Made Foreign Spirit/ Indian Made Foreign Liquor	₹ 4.00 per proof litre
5.	Ready to Drink Beverages	₹ 2.00 per bulk litre
6.	Draught Beer	₹ 2.00 per bulk litre
7.	Absolute Alcohol	₹ 1.50 per bulk litre
8.	Denatured Spirit	₹ 1.00 per bulk litre

5. In the said order, in order 1-E, in the existing table, for serial number 5 and 6 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“5 Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor ₹ 2.00 per bulk litre
6 Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Industrial Use Nil.”.

6. In the said order, in order 2, for clauses (a) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Wine ₹ 20.00 per bulk litre.”.

7. In the said order, in order 5, for the existing clauses and entries thereagainst, the following clauses and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

‘(i) Beer containing alcoholic contents upto 5.5% ₹ 50.00 per bulk litre
(ii) Beer containing alcoholic contents more than 5.5% ₹ 55.00 per bulk litre
(iii) Canned Beer:
a. Mild ₹ 60.00 per bulk litre
b. Strong ₹ 65.00 per bulk litre
(iv) The rate of additional excise duty on country liquor ₹ 23.00 per proof litre
(v) The rate of additional excise duty on Indian Made foreign Liquor.”. ₹ 51.00 per proof litre.”
(vi) Draught Beer ₹ 55.00 per Bulk litre
(vii) The rate of excise duty on retail sale of beer shall be Rs. 30 per bulk litre on the beer manufactured by pub Micro Brewery Project in the State.

8. In the said order, in order 5A, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) Ready to drink beverages ₹ 40.00 per bulk litre.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.